न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
282 / 2021	08.11.2021	17.11.2022

/ / उनवान / /

1 कृष्ण कुमार पुत्र होशियार

2 सुमन देवी पत्नि कृष्ण कुमार जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

2 भूपसिंह पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट निवासी नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

3 मतादीन पुत्र सेढू जाति धोबी निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

असल प्रतिवादीगण

4 गोराराम पुत्र नानडराम जाति कुम्हार निवासी मोचडिया हसनपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

:–तर0 प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955।

उपस्थितिः– श्री रणवीरसिंह यादव – वकील वादी

निर्णय

दिनांक– 17.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 1364 / 0.64 है0 वाके ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर सैटलमेन्ट हाल सम्वत् 2070–74 से पूर्व साबिक ख0नं0 1494 रहा है जो पूर्व में मूल खातेदार जैना, लीला, सुभाष पुत्रान घीसा व लाली पुत्री घीसा जाति स्वामी 1 / 2 व सेढू पुत्र चेतराम जाति धोबी निवासीयान बीजवाड चौहान के कब्जेकाश्त की खातेदारी रही है। जैन, लीला, सुभाष पुत्रान व लाली पुत्री घीषा स्वामी ने अपना 1 / 2 भाग ओमप्रकाश, भूपसिंह, बिल्लू उर्फ राजेन्द्र पुत्रान घीसाराम जाति जाट निवासी नांगल उदिया तहसील मुण्डावर को सम्वत् 2047 में [illegible] बेचान कर दिया और खरीद के बाद काबिज हो[illegible] भाग 1 / 2 हिस्से में मातादीन पुत्र सेढू जाति धोबी निवासी बीजवाड चौ[illegible] मूलचन्द पुत्र सेढूराम धोबी निवासी बीजवाड चौहा[illegible] सेढू ने अपना खरीदशुदा 1 / 4 भाग तर0 प्रतिवादी [illegible] 1 / 4 भाग पर असल प्रतिवादी सं0 3 काबिज है [illegible] भूपसिंह [illegible] ने अपना ओमप्रकाश बिल्लू उर्फ राजेन्द्र पुत्रान घीसाराम जाति जाट निवासी नांगल [illegible] ने अपना संपूर्ण हिस्सा वादीगण को बाकब्जा बएवज प्रतिफल के बेचान कर दिया [illegible] मौके पर क्रेतागण वादीगण को वक्त खरीद ही कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार आराजी एवं मुतनाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

में से 1/2 भाग वादीगण की खरीदशुदा आराजी है एवं खरीदशुदा आराजी हिस्सा 1/2 भाग पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं व काश्त कर रहे हैं तथा इसी प्रकार आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग पर प्रतिवादी असल संख्या 3 काबिज होकर काश्त कर रहा है इसी कदर आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग पर तर0 प्रतिवादी सं0 4 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, मौके पर कब्जेकाश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2042–46 में जैना, लीला, सुभाष पुत्रान घीसा स्वामी 1/2 सेढू पुत्र चेतराम जाति धोबी 1/2 साकिन देह खातेदार बकाश्त जैना वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साल 25 माजरा सिकमी एवं सम्वत् 2050 जमाबंदी में इन्द्राज इसी प्रकार रहे कि भूपसिंह ओमप्रकाश बिल्लू उर्फ राजेन्द्र पुत्रान घीसाराम जाट साकिन नांगल उदिया 1/2 मातादीन पुत्र सेढू धोबी 1/2 साकिन देह खातेदार भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 23 माजरा सिकमी, इसी प्रकार सम्वत् 2054 की जमाबंदी में भी इसी प्रकार साल 29 माजरा सिकमी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान हाल जमाबंदी सम्तव् 2076 से 2079 में कृष्ण कुमार पुत्र होशियार हिस्सा 1/6 जाति अहीर साकिन पलावा खातेदार अविव बकाश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 सिकमी, गोराराम पुत्र नानडराम हिस्सा 1/4 जाति चमार साकिन मोचडिया हसनपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा खातेदार अविव बाकश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 माजरा सिकमी, सुमन देवी पत्नि कृष्ण कुमार जाति अहीर 1/3 साकिन पलावा खातेदार अविव बकाश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 माजरा सिकमी दर्ज हो रहा है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण 1/2 भाग पर , प्रतिवादी सं0 3, 1/4 भाग पर एवं तर0प्रतिवादी सं0 4, 1/4 भाग पर मौके पर काबिज है बकाश्त के इन्द्राजात बेजा व फिजूल है बकाश्त सेढू पुत्र चेतराम अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुका है जो अभी जीवित ही नहीं है तो बकाश्त के रूप में सिकमी आसामी के रूप में सेढू का कब्जा होने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। राजस्व जमाबंदीयात के अवलोकन से साफ जाहिर है कि बकाश्त के इन्द्राज बेजा आधारहीन व गैरकानूनी है जिन्हें हजफ किया जाना न्यायसंगत है। सेढू पुत्र चेतराम फौत हो चुका है व उसका लड़का प्रतिवादी सं0 3 मातादीन वाद में पक्षकार है मृतक सेढू को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के आगे बकाश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम 1/2 साकिन देह माजरा सिकमी के इन्द्राजात बेजा व गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने से काबिल दुरूस्त किये जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे बकाश्त के इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे। आदि–आदि का अंकन करते हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 1364/0.64 है0 वाके ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर में खातेदारान के आगे हो रहे इन्द्राजात ''बकाश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 माजरा सिकमी'' को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] व 4 अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय [illegible] चाहते प्रतिवादी सं0 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश [illegible] अंकित करते हुये सहमति स्वरूप वकील प्रतिवादी [illegible] किये तथा प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब [illegible] मुताबिक जवाब पैरोकार सरकार वादी स्वयं सिद्ध करे [illegible]

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] नकल [illegible] जमाबंदी सम्वत् 2033 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2037 प्रदर्श–2, [illegible] जमाबंदी सम्वत् 2042 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2050 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2054 प्रदर्श–5 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2078 प्रदर्श–6 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

शपथपत्र कृष्ण कुमार पीडब्ल्यू–1, झम्मनलाल पीडब्ल्यू–2, रोहिताश पीडब्लयू–3 पेश किये जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2042–46 में जैना, लीला, सुभाष पुत्रान घीसा स्वामी 1/2 सेढू पुत्र चेतराम जाति धोबी 1/2 साकिन देह खातेदार बकाश्त जैना वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साल 25 माजरा सिकमी एवं सम्वत् 2050 जमाबंदी में इन्द्राज इसी प्रकार रहे कि भूपसिंह ओमप्रकाश बिल्लू उर्फ राजेन्द्र पुत्रान घीसाराम जाट साकिन नांगल उदिया 1/2 मातादीन पुत्र सेढू धोबी 1/2 साकिन देह खातेदार भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 23 माजरा सिकमी, इसी प्रकार सम्वत् 2054 की जमाबंदी में भी इसी प्रकार साल 29 माजरा सिकमी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान हाल जमाबंदी सम्तव् 2076 से 2079 में कृष्ण कुमार पुत्र होशियार हिस्सा 1/6 जाति अहीर साकिन पलावा खातेदार अविव बकाश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 सिकमी, गोराराम पुत्र नानडराम हिस्सा 1/4 जाति चमार साकिन मोचडिया हसनपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा खातेदार अविव बाकश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 माजरा सिकमी, सुमन देवी पत्नि कृष्ण कुमार जाति अहीर 1/3 साकिन पलावा खातेदार अविव बकाश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 माजरा सिकमी दर्ज हो रहा है जबिक आज तक आराजी मुतनाजा पर वादीगण 1/2 भाग पर , 1/4 भाग पर प्रतिवादी सं0 3,एवं 1/4 भाग पर तर0प्रतिवादी सं0 4 मौके पर काबिज है बकाश्त के इन्द्राजात बेजा व फिजूल है बकाश्त सेढू पुत्र चेतराम अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुका है जो अभी जीवित ही नहीं है तो बकाश्त के रूप में सिकमी आसामी के रूप में सेढू का कब्जा होने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। राजस्व जमाबंदीयात के अवलोकन से भी साफ जाहिर है कि बकाश्त के इन्द्राज बेजा आधारहीन व गैरकानूनी है जिन्हें हजफ किया जाना न्यायसंगत है। सेढू पुत्र चेतराम फौत हो चुका है व उसका लड़का प्रतिवादी सं0 3 मातादीन वाद में पक्षकार है तथा इसीलिए मृतक सेढू को वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया है। आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के आगे बकाश्त भूपसिंह वगैरह 1/2 सेढू पुत्र चेतराम 1/2 साकिन देह माजरा सिकमी के इन्द्राजात बेजा व गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने से काबिल दुरूस्ती है राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे बकाश्त के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आ0ख0नं0 1364/[illegible] चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है [illegible] हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे खातेदारान के अंकन के आगे " अ.विव. बकाश्त भूपसिंह [illegible] 1/2 सेढू पुत्र चेतराम धोबी 1/2 साकिन देह साल 29 माजरा सिकमी " के अंकन को कलमजन

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.11..2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

17-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज०

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested